



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082021-228667
CG-DL-E-02082021-228667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2835]
No. 2835]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SRAVANA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

का.आ. 3057(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2330(अ) तारीख 14 जून 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में NH-91 के कि.मी. 165.600 से कि.मी.186.000 (अलीगढ़ कानपुर खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 20.06.2021" को "दैनिक जागरण (हिन्दी)" और "हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में NH-91 के कि.मी. 165.600 से कि.मी.186.00 (अलीगढ़-कानपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: हाथरस			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिकंदराराऊ				
	गांव का नाम: महामईसलामतनगर				
1	361	निजी	कृषि	0.11	संदीप कुमार सिंह पुत्र राजवीर सिंह, श्रीमती पूर्णिमा सिंह वर्मा पुत्री राजवीर सिंह, लकी वाष्णेय पुत्र सन्तोष वाष्णेय, सत्यवीर सिंह पुत्र टीकम सिंह, दिनेशकुमार यादव पुत्र झबू सिंह। ()
	गांव का नाम: पीपल गांव				
2	2473	निजी	कृषि	0.0152	राजेशकुमार, रामऔतार, शंकरपाल पुत्रगण गयाप्रसाद, विनोद कुमार, प्रमोदकुमार पुत्रगण शिवप्रसाद, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी शिवप्रसाद, श्रीमती ज्ञानदेवी पत्नी विनोद कुमार, अंजूदेवी पत्नी प्रमोद कुमार। ()
3	2481	निजी	कृषि	0.0152	राजेश कुमार, रामऔतार, शंकरपाल पुत्रगण गयाप्रसाद। ()

गांव का नाम: सिकंदराराऊ अंदर चुंगी					
4	1912	निजी	कृषि	0.012	श्रीमती मंजू देवी पत्नी विनोद, मौ0 युनिस पुत्र मौ0 याकुब खाँ ()
5	1930	निजी	कृषि	0.021	अजमत अली खाँ , राहत अली खाँ पुत्रगण सरदार अली खाँ , श्रीमती मंजू देवी पत्नी विनोद कुमार। ()
			कुल	0.1734	

[फा. सं. 15011/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 3057(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2330(E) , dated 14 June 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-91 on the stretch of land from Km. 165.600 to Km. 186.000 (Aligarh-Kanpur Section) in the District of HATHRAS in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Danik Jagran (Hindi)” and “Hindustan Times (English)” both dated 20.06.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-91 in the stretch of land from Km. 165.600 to 186.000 (Aligarh- Kanpur Section) in the District of HATHRAS in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: HATHRAS		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sikandra Rao				
	Village: Mahamaisalamatnagar				
1	361	Private	Agriculture	0.11	Sandeep Kumar Singh, S/o Rajveer Singh, Smt Purnima Singh Varma D/o Rajveer Singh, Lakki Vashnay S/o Santosh Vashnay, Satyaveer Singh S/o Tikam Singh, Dinesh Kumar Yadav S/o Jhabbu Singh.
	Village: Pipal Gawan				
2	2473	Private	Agriculture	0.0152	Rajesh Kumar, Ramotar, Sankarpal S/o Gyaprasad, Vinod Kumar, Pramod Kumar S/o Shivprasad, Smt Santi Devi W/o Shivprasad, Smt Gyandevi W/o Vinod Kumar, Smt Anju Devi W/o Pramod Kumar.
3	2481	Private	Agriculture	0.0152	Rajesh Kumar, Ramotar, Sankarpal S/o Gyaprasad.
	Village: Sikandra Rao Ander Chungi				
4	1912	Private	Agriculture	0.012	Smt. Manju W/o Vinod, Mohd Yunis S/o Yakuv Khan.
5	1930	Private	Agriculture	0.021	Azamat Ali Khan, Rahat Ali Khan S/o Sardar Ali Khan, Smt Manju Devi W/o Vinod Kumar.
			TOTAL	0.1734	

[F. No. 15011/3D]

RAJESH GUPTA, Director